न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर– 2024/42

1. तुलसीदास पुत्र श्री किशनदास दादूपंथी, निवासी–मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर। (राज.)

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजगढ, तहसील राजगढ,जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर निर्णय दिनांक 09.04.2024 अपील संख्या 12/118/2022 उनवानी तुलसीदास बनाम सरकार व निर्णय तहसीलदार राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला अलवर दिनांक 25.08.2022 प्रकरण संख्या 58/2022 में पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री भूपेन्द्र भारद्वाज, वकील अपीलान्ट।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–29.11.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर के निर्णय दिनांक 09.04.2024 एवं तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.08.2022 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.08.2022 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध संवत 2079 में वाके ग्राम मोतीवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 शमशान पर अतिक्रमण कर पेड–पौधे लगाने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), अलवर के यहां पेश की गई, जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2024 द्वारा खारिज कर दी गयी।

3. तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 25.08.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर के निर्णय दिनांक 09.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर दिनांक 25.08.2022 तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा दिनांक 09.04.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि अपीलाट के विरूद्ध दिनांक 25.08.2022 को पत्रावली संख्या 58/2022 उनवान पटवारी हल्का मोतीवाडा बनाम तुलसीदास पुत्र किशनदास, कोम दादूपंथी, निवासी–मोतीवाडा में तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर के द्वारा खसरा नंबर 1203 रकबा 0.07 किस्म गैर मुमकिन शमशान वाके ग्राम मोतीवाडा में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने एक अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के समक्ष अपील संख्या 12/118/2022 उनवानी तुलसीदास बनाम राज. सरकार प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 09.04.2024 को निर्णय पारित करते हुये अपीलांट की अपील को सारहीन मानते हुये खारिज फरमा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

दी। अपीलांट ने एक वाद उपखण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर के समक्ष वाद बाबत घोषणा, हक खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें तहसीलदार राजगढ जरिये लैण्ड होल्डर पक्षकार हैं। तहसीलदार राजगढ को वाद पत्र की जानकारी होने के पश्चात् भी अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2022 को पारित किया गया।

अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी महोदय राजगढ के समक्ष प्रस्तुत वाद में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि हाल खाता संख्या 1 हाल खसरा नंबर 1203 रकबा 0.07 हैक्टेयर वाके ग्राम मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर में मुताबिक जमाबंदी संवत् 2069 लगा0 72 राज्य सरकार के नाम खाते में दर्ज होकर सिवायचक गैर मुमकिन मरघट दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गई, जबकि विवादित आराजी बन्दोबस्त संवत् 2046 से पूर्व अर्थात साबिका खसरा नंबर मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत् 2046 में हाल खसरा नंबर 1203 रकबा 0.07 हैक्टेयर साबिका खसरा नंबर 641 रकबा 4 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 व 2020 से स्पष्ट हैं। इसके अलावा बन्दोबस्ती सम्वत् 2020 के अनुसार हाल खसरा नंबर 641 रकबा 4 बिस्वा, गत साबिका खसरा नंबर 182 रकबा 4 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार काबिज मालिक अपीलांट के दादा व बालक दास चेला लक्ष्मण दास कोम दादूपंथी स्वामी निवासी मोतीवाडा, तहसील राजगढ रहे थे, जिसकी ताईद सम्वत् 2020 खाता संख्या 245 खसरा नंबर 641 व जमाबन्दी सम्वत् 2007 लगा0 10 संख्या 326 खसरा नंबर 182 से स्पष्ट है। इसके बावजूद भी तहसीलदार राजगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.08.2022 व अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.04.2024 विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित किये गये हैं।

सम्वत् 2020 की बंदोबस्त कायम करते समय साबिका खसरा नंबर 182 के नवीन खसरा नंबर 641 कायम कर पूर्व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक दर्ज ना करके उक्त खसरा नंबर 641 को सिवायचक भूमि दर्ज करके किस्म सिवायचक गैर मुमकिन मरघट दर्ज करते हुये तहसीलदार राजगढ़ के द्वारा राज्य सरकार के खाते में दर्ज कर दिया, जबकि उक्त साबिका खसरा नंबर 641 में ना तो कभी मरघट रहे और ना ही अब विवादित आराजी में मरघट है, बल्कि अपीलांट बुजुर्गान के समय से उक्त विवादित आराजी पर काबिज होकर कृषि करते चले आ रहे है और पूर्व में अपीलांट के पूर्वज काश्त करते थे। मरघट के लिये राजस्व रिकार्ड में ग्राम मोतीवाडा में अन्य खसरा नंबर अंकित है, जिसमें वर्तमान में मरघट है, जिसके बावजूद भी तहसीलदार राजगढ के द्वारा निर्णय दिनांक 25.08.2022 पारित कर दिया। खसरा नंबर 1203 रकबा 0.07 हैक्टेयर में अपीलांट अपने पुर्वजों के समय से ही काबिज है तथा उक्त आराजी शुरू से ही दादूपंथी समाज व उनके बुजुर्गो की रही हैं, जिसमें देवी देवताओं के पग बने हुये है और जिनकी अपीलांट व उनके बुजुर्ग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 09.04.2024 व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ, जिला अलवर दिनांक 25.08.2022 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.07 हैक्टेयर से बेदखल ना करें एवं अपीलान्ट के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा या व्यवधान पैदा ना करने बाबत आदेश पारित करने की कृपा करें।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2079 में वाके ग्राम मोतीवाडा की आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.07 है0 किस्म गै0मु0 शमशान की भूमि पर पेड–पौधे लगाकर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 25.08.2022 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर ने तहसीलदार राजगढ जिला अलवर से

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

वर्तमान मौका की स्थिति की रिपोर्ट चाही गयी। तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोतीवाडा में आराजी खसरा नम्बर 1203 रकबा 0.07 गै0मु0 मरघट भूमि पर नींबू व पपीता के पौधे लगाकर अतिक्रमण होना अंकित किया गया है। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी की अतिक्रमण रिपोर्ट दिनांक 04.08.2022 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1203 की किस्म गै0मु0 शमशान है जिसके पूर्ण रकबा 0.07 है0 पर अतिक्रमण अपीलान्ट द्वारा किया जाना अंकित है, साथ ही अपील अपीलान्ट दायर होने के पश्चात तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में वर्तमान में भी अपीलान्ट का कब्जा होना बताया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधिवत प्रतीत होता है। अपीलान्ट अतिक्रमी है, जबकि कानून गै0मु0 शमशान भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में गै0मु0 शमशान भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी गै0मु0 शमशान पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.04.2024 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 29.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर